न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 16/2017 दायरा दिनांक : 11.01.2017

उनवान

1— राजेश्वर सिंह पुत्र बसन्त सिंह, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी कंवरपुरा हाल निवासी 98/1 सरवट गेट उत्तरी मुजफ्फर नगर (उतर प्रदेश)

2— विपिन कुमार पुत्र राजेश्वर सिंह, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी 88 वर्मा पार्क गांधी कॉलोनी मुजफ्फर नगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)

.... अपीलांट

बनाम

1— निश्चल कुमार पुत्र श्री बृजेश्वर सिंह, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी कंवरपुरा हाल निवासी 98/1 सरवटगेट उत्तरी जिला मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)

2— प्रवीण कुमार पुत्र स्वर्गीय योगेश्वर सिंह, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी मलपुरा, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश)

3— श्रीमती अल्का पत्नी दिवाकर, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी विकास नगर देहरादून (उत्तराखण्ड)

4— गौरव पुत्र सत्येन्द्र त्यागी द्वारा संरक्षक एवं पिता सत्येन्द्र त्यागी, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी राजपुरा तहसील हापुड, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

5— कुमारी स्वामी पुत्री सत्येन्द्र त्यागी द्वारा संरक्षक एवं पिता सत्येन्द्र त्यागी, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी राजपुरा तहसील हापुड, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

6— बृजभूषण उर्फ विनोद कुमार पुत्र बसंत सिंह, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी कंवरपुरा हाल निवासी 98/1 सरवट गेट उत्तरी मुजफ्फर नगर (उतर प्रदेश)

7— बृजेश्वर सिंह पुत्र बसंत सिंह, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी कंवरपुरा हाल निवासी 98/1 सरवट गेट उत्तरी मुजफ्फर नगर (उतर प्रदेश)

8— शकुन्तला पत्नी स्वर्गीय कृष्ण चन्द, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी 19/1 तेग बहादुर रोड देहरादूर (उत्तराखण्ड)

9— हेमन्त शर्मा पुत्र सतीश चन्द्र शर्मा, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी 19/1 तेग बहादुर रोड देहरादूर (उत्तराखण्ड)

10— सिद्धार्थ शर्मा पुत्री सतीश चन्द्र शर्मा, जाति त्यागी ब्राहमण, निवासी 19/1 तेग बहादुर रोड देहरादूर (उत्तराखण्ड)

11— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी एवं आलोक गोयल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या — 115/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि वादी के पितामह बसंत जी के खाते में ग्राम पदमपुरा, तहसील किशनगंज के खाते में कुल 28 किता की 123 बीघा 19 बिस्वा आराजी स्थित थी । वादी के पितामह ने दिनांक 02.07.1980 को एक पंजीकृत वसीयत प्रतिवादी नम्बर 1, 2 तथा वादी के पक्ष में तहरीर की थी जिसके अनुसार ये तीनों ही वादग्रस्त आराजी को प्राप्त करने के अधिकारी हैं । आराजी वादी के पितामह की स्वअर्जित थी । जिसकी वसीयत करने का उन्हें पूर्ण अधिकार था । पारिवारिक समझौते के अनुसार आराजी का पक्षकारों ने आपस मे विभाजन कर लिया है । अतः वादी का दावा स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में वादी और प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 को खातेदार घोषित कर हिस्से के अनुसार विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.07.2011 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की और दिनांक 25.05.2012 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है । अपील विभाजन की अंतिम डिक्री के खिलाफ पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि तहसीलदार किशनगंज के द्वारा हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये गये हैं । राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया है । अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा

अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देने के पश्चात् अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल प्राप्त की गई । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है । आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है । बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि निर्णय राजीनामे से हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश नहीं की है । अपीलांट का एडमीशन है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप ही बनायी गयी है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.07.2011 को विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है और दिनांक 22.05.2012 को

विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है । अधीनस्थ नयायालय की आदेशिका दिनांक 22.05.2012 में यह अंकित है कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं । विभाजन प्रस्ताव से उभयपक्ष के अभिभाषक सहमत हैं । अतः अंतिम डिक्री जारी की जाती है । अंतिम डिक्री प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप ही है और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार उभयपक्षीय अभिभाषकगण की सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई है । ऐसी स्थिति में जब सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई है उसके खिलाफ अपील मेंटेनेबल नहीं है । यदि अपीलांट ऐसा महसूस करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.05.2012 के अनुसार उनकी सहमति गलत अंकित की गई है तो वह अधीनस्थ नयायालय में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं परन्तु सहमति के आधार पर जारी डिक्री के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मेंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा